P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-11* February- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation

भारत में निर्धनता : समस्या एवं समाधान

राम दयाल मीना
शोध छात्र,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर,राजस्थान

सारांश

15 अगस्त, 1947 को भारत विदेशी शासन से मुक्त हुआ, इस बात को अब 70 वर्ष हो गए हैं, देश को स्वतंत्र कराने का प्रमुख उद्देश्य था–भारतवासियों को आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान करना, स्वतंत्रता प्राप्ति के इन 70 वर्षों में स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य किस हद तक पूरे हुए हैं यह प्रश्न आज देशवासियों के समक्ष आ खड़ा हुआ है, परन्तु देखने पर ऐसा लगता है कि आज भी भारतवासी, स्वतंत्रता के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सके हैं यदि देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को देखा जाए, तो कमोबेश स्थिति स्वतंत्रता पूर्व जैसी ही है देश की राजनीति आज भी बाँटो और राज करो की नीति पर कार्य कर रही है तथा भारतीय समाज आज भी जाति, पंथ और क्षेत्र के आधार पर कई भागों में बँटा हुआ है दूसरी ओर आर्थिक क्षेत्र में तो भारत की स्थिति अति दयनीय प्रतीत होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी विदेशी निवेश के सहारे साँस ले रही है, आज भी देश की भुखमरी कायम है, तभी तो भारत सरकार ने 'खाद्य सुरक्षा योजना' हेतु दिनांक 5 जुलाई, 2013 को एक अध्यादेश जारी कर दिया और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 को संसद में पारित कर दिया गया। सरकार इस योजना के जारिए देश की दो–तिहाई जनसंख्या को रियायती दर पर गेहूँ और चावल मुहैया कराना चाहती है।

देश की निर्धनता की स्थिति यह है कि सरकार को आए दिन निर्धनता के निर्धारण के आँकड़ों में विस्मयकारी फेर–बदल करने की आवश्यकता पड़ रही है यह विचित्र विडम्बना है कि स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी देश का हर तीसरा व्यक्ति गरीब है अर्थात् आज भी एक तिहाई जनसंख्या गरीब है इसलिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते है कि गरीबी बहुत–सी आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है इसलिए गरीबी की समस्या को हल करने के लिए स्वयं गरीबी की संकल्पना से परे जाना होगा। यह जानना काफी नहीं कि कितने लोग गरीब हैं, बल्कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि गरीब लोग कितने गरीब है।

मुख्य शब्द : निर्धनता, आजादी, निर्धनता अनुपात, गरीबी रेखा, अमीर, समस्या एवं समाधान।

प्रस्तावना

प्रो0 अमर्त्य सेन के अनुसार भारत में गरीबी का बने रहना एक बड़ी चुनौती है। गरीबी का सम्बन्ध केवल आय या कैलोरी से जोड़कर करना सही नहीं होगा, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि लोगों की बीमारियों से कहाँ तक रक्षा हो पाई है, उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान व शिक्षा आदि की व्यवस्था कैसी है? यदि वास्तव में गरीबी की समस्या को हल करना है, तो इसके लिए हमें अपनी पुरानी सोच की दिशा बदलकर नई सोच की ओर बढ़ना होगा, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा।

सरकार व हमारे योजनाकारों को गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की सुविधाओं का विस्तार करना होगा, गरीबों को केवल सस्ती शिक्षा, सस्ता अनाज और सस्ती दवाईयाँ, सस्ता आवास दे देने मात्र से उनकी गरीबी दूर नहीं होगी। जिस प्रकार हम गरीबी और गरीबी रेखा पर सोच–विचार करते हैं, ठीक उसी प्रकार अमीरी और अमीरी रेखा के निर्धारण पर भी सोचना होगा। गरीबों के जीवनस्तर को जिंदा रहने लायक स्तर से ऊपर उठाना होगा। उन्हें केवल जीवनरेखा को पार कराना ठीक वैसा ही होगा, जैसे गहरे पानी में डूबे हुए व्यक्ति को किनारे पर लाकर पटक देना। उसे इस स्थिति के पश्चात् भी जिन्दा रहने व अच्छा जीवन जीने की आवश्यकता होती है गरीबों को उनकी गरीबी से बाहर निकाल कर उनको जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं और सेवाएं उपलब्ध करवाई जाए, ताकि उनकी औसत आयु बढ़ सके। उनकी

शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा हो सके और उनके अन्दर बढ़ी गरीबी की मानसिकता से छुटकारा मिल सके, इसके लिए सरकार व योजनाकारों को गरीब और गरीब के प्रति नई सोच विकसित करनी होगी, नए मापदण्ड निर्धारित करने होंगे, अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को पाटना होगा, क्योंकि बेलगाम अमीरी से ही बेलगाम गरीबी का जन्म होता है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य भारत में व्याप्त गरीबी की समस्या एवं उसके समाधान के उपायों का अध्ययन करना है। इस शोधपत्र में आजादी के समय से लेकर वर्तमान काल तक भारत में फैली गरीबी का विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास किया गया है साथ ही इस निर्धरता के कारणो पर भी प्रकाश डालते हुए, भारत से गरीबी दूर करने के लिए प्रभावी सुझाव देने का भी प्रयास किया गया है।

अतः इस शोधपत्र का प्रमुख उद्देश्य भारत में गरीब व अमीर की स्थिति का अध्ययन करना है तथा गरीबी निवारण की दिशा में ऐसे सुझाव देना है जिससे वास्तव में निर्धनता को कम किया जा सके।

शोध पद्धति

वर्तमान शोधपत्र में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की शोध पद्धतियों का प्रयोग किया गया है भारत में गरीबी के अध्ययन से सम्बन्धित सामग्री, महत्वपूर्ण विद्वानों की पुस्तकें, समय–समय पर निर्धनता निर्धारण एवं निवारण हेतु गठित आयोगों के प्रतिवेदन, शोधपत्रों में प्रकाशित आलेख, समाचार पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित सम्पादकीय एवं आलेखों का अध्ययन किया गया है। इन्हीं के आधार पर यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि भारत में निर्धनता निवारण हेतु अभी तक क्या–क्या प्रयास किये गये है और कौन से वे क्षेत्र है जिन पर ध्यान देने की अभी आवश्यकता है।

साहित्यावलोकन

भारत में निर्धनता की समस्या एवं समाधान के सन्दर्भ में किये गये इस शोध के उद्देश्यों तथा शोध पद्धति का विवरण प्रस्तुत करते हुए इस विषय पर लिखे गये साहित्य का अवलोकन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया गया है यथा –

अमर्त्य सेन द्वारा लिखित मुख्य कृति ''गरीबी एवं अकाल'' (2013) में लेखक ने अर्थशास्त्र को मनुष्य के कल्याण का साधन बनाने के उद्देश्य से जोड़ा और इसके विविध पैमाने भी तैयार किये। इससे पूर्व अर्थशास्त्र को मात्र धन–सम्पदा का अध्ययन माना जाता था, अमर्त्य सेन ने उसे पहली बार दर्शन और नैतिकता की दिशा में उन्मुख किया है। प्रस्तुत रचना ग़रीबी और गरीबी के सन्दर्भ में अकालों का नवीन विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

विमल जालान ने अपनी पुस्तक ''भारत की अर्थनीति'' (2008) में यह दलील तैयार की है कि सरकारें बस वे ही काम अपने हाथ में ले, जिन्हें वे सर्वश्रेष्ठ तरीके से अंजाम दे सकती है और जो काम वे पर्याप्त अच्छी तरह नहीं कर सकती, उनसे यथाषीघ्र अपने हाथ खींच लें। इस पुस्तक में लेखक का स्वर न तो हताशा से भरा है और न अतिरिक्त चेतावनी से। भारत के स्वर्णिम भविष्य को लेकर वे पूर्णतया आश्वस्त है, बर्षते ऐसे भविष्य के लिए हमारी नीतिगत तैयारियाँ समय रहते पूरी हो जाएँ।

बिमल जालान द्वारा रचित ग्रन्थ 'भारत का भविष्य' (2007) राजनीति, अर्थशास्त्र और शासन को आधार बनाकर लिखा गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली, संसद की सिमटती हुई भूमिका और बोझिल न्यायपालिका के अतिरिक्त गरीबी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर न केवल प्रकाश डालता है उनके समाधान के लिए राह भी सुझाता है। जैसा कि जालान ने लिखा है कि ''यह किताब भारत के भाग्य में समय–समय पर होने वाले बदलावों के कारणों को समझने और अपने सामर्थ्य को पूरी तरह जानने में हुई हमारी असफलताओं के कारणों को खोजने का एक प्रयास है।

प्रताप भानू मेहता ने अपनी पुस्तक ''द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी'' (2017) में लिखा है कि आजादी के 70 वर्ष बाद भारत में लोकतंत्र तो स्थापित हो चुका है लेकिन आज भारतीय लोकतंत्र के सामने अनेक संकट खड़े हो रहे हैं, जो इसकी वैधता को चुनौती दे रहे है जैसे– सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक असमानता। लेखक ने इस पुस्तक में लोकतंत्र की इन चुनौतियों से निपटने के प्रभावी उपाय भी बताए है।

उपर्युक्त विवेचन द्वारा शोध विषय से सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा करने का प्रयास किया गया है। समय तथा अन्य परिस्थितियों की सीमाओं में रहते हुए जो साहित्य सुलभ हो पाये, उन्हीं की यहाँ समीक्षा की गई है।

गरीब, गरीबी तथा गरीबी रेखा का अर्थ

गरीब, गरीबी और गरीबी रेखा आय–व्यय, कैलोरी मात्रा, कुपोषण, अर्द्ध–भुखमरी व भूख से मौतों जैसे मुद्दों पर सरकार, योजनाकारों व जनता के बीच कई दशकों से देश में बहस चल रही है। हाल ही में गरीबी रेखा पर हुई बहस में योजनाकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रूपये 26 तथा शहरी क्षेत्रों में रूपये 32 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय से कम प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे या बी.पी.एल. माना गया। जिसे सभी वर्गों ने एकमत से नकार दिया तथा इस सम्बन्ध में सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा नई समिति का गठन किया गया।

गरीबी बहस का विषय नहीं है सोचने, समझने और महसूस करने तथा उसे हर सम्भव तरीके से मिटाने का विषय हैं, गरीबी रेखा के निर्धारण में रात–दिन कवायद चल रही हैं। कभी दांडेकर समिति, कभी तेंदुलकर समिति, तो कभी अर्जुन सेन गुप्ता समिति का गठन किया गया, किन्तु वहीं ढाक के तीन पात। सभी समितियों के निष्कर्ष भिन्न–भिन्न व विरोधाभासी होने के कारण किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका। ताज्जुब तो तब होता है जब देश के जाने–माने अर्थशास्त्री, योजनाकार, नौकरशाह और अनुभवी राजनेता भी गरीबी के मानकों पर एक मत नहीं हो सके। कभी ग्रामीण और शहरी गरीब, कभी कैलोरी, कभी आय, कभी व्यय के जंजाल में देश के गरीब अपनी गरीबी में दम तोड़ते नजर आते हैं तथा अपनी दो जून की रोटी के लिए साल–दर साल विस्थापन व पलायन के लिए मजबूर होते हैं।

देश में अक्सर यह माना जाता है कि वे लोग गरीब है जो एक निश्चित न्यूनतम उपभोग का स्तर प्राप्त करने में असफल रहते हैं, इस सन्दर्भ में समय–समय पर गठित विभिन्न समितियों द्वारा विचार–विमर्श व अनुमान लगाए गए है। इसके अतिरिक्त भारत में नेषनल सेम्पल सर्वे ऑर्गनाइजेशन द्वारा दिए जाने वाले उपभोग व्यय के पंचवर्षीय आँकड़ों तथा 1979 में योजना आयोग द्वारा गठित न्यूनतम आवश्यकता व प्रभावी उपभोग माँग अनुमान टास्क फोर्स के प्रतिवेदन में दी गई गरीबी रेखा को मद्देनजर रखते हुए योजना आयोग ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी की मात्रा का अनुमान लगाता है, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा कुल निजी उपभोग व्यय के अनुमानों तथा जनगणना के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार अनुमान लगाता है। मार्च 1997 में योजना आयोग ने गरीबी की रेखा के निर्धारण के लिए नेशनल सेम्पल सर्वे ऑर्गनाइजेशन के अनुमानों को त्यागकर लकड़ेवाला सूत्र को अपनाया था। इस सूत्र के अनुसार शहरी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को गरीबी आंकलन हेतु आधार बनाया गया है। इससे अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग गरीबी रेखाएं होंगी।

हमारे देश में गरीबी रेखा का सम्बन्ध कैलोरी के उपभोग की मात्रा से जोड़ा गया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्तियों को गरीब माना गया है। गरीबी का इस प्रकार का विचार जिसमें गरीबी को न्यूनतम उपभोग या न्यूनतम आय से जोड़ा जाता है, तो यह गरीबी की निरपेक्ष माप या स्थिति को बताता है दूसरी ओर एक आय–वर्ग की तुलना दूसरे आय–वर्ग से की जाए या एक राज्य की तुलना दूसरे राज्य से की जाए या एक राष्ट्र की तुलना दूसरे राष्ट्र से की जाए, तो इसमें गरीबी की सापेक्ष माप या विचार को बल मिलता है, किन्तु देश में गरीबी की रेखा के लिए निरपेक्ष माप को ही अपनाया गया है। इस माप में कई कमियाँ है जैसे कैलोरी आधारित गरीबी की माप असत्य, अपर्याप्त एवं अनुपयुक्त अवधारणा है। एन.एस.एस.ओ. और सी. एस. ओ. द्वारा उपभोग व्यय के आँकड़ों में अन्तर होने से उनका समायोजन कठिन होता है।

भारत में निर्धनता की वास्तविकता

योजना आयोग के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2004–05 में भारत में 37.2 प्रतिशत आबादी निर्धन थी। जो वर्ष 2011–12 में घटकर 21.9 प्रतिशत रह गई है। अर्थात् देश में निर्धनों की संख्या 40.73 करोड़ से कम होकर 26.89 करोड़ रह गई है। इस प्रकार पिछले सात वर्षों में भारत की निर्धनता में 15.3 प्रतिशत की कमी आई है, योजना आयोग का यह आँकड़ा सुनने में सुखद प्रतीत होता है, परन्तु इन आँकड़ों की वास्तविकता में संदेह जान पड़ता है। वस्तुतः देश में निर्धनता के आकलन के सन्दर्भ में पिछले कुछ वर्षों में जो भी आकलन विधि विकसित की गई उसे केन्द्र की सत्तासीन सरकार अपनी उपलब्धियों को दिखाने के हिसाब से प्रयुक्त करती रही है।

भारत में पिछले कुछ वर्षों में महंगाई में तीव्रता के साथ वृद्धि हुई है, परन्तु निर्धनता को निर्धारित करने वाली रेखा अर्थात् निर्धनता की रेखा उस अनुपात में ऊपर नहीं हुई है। वर्तमान समय में योजना आयोग तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाई गई विधि के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति रूपये 27.20 प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में रूपये 33.30 प्रतिदिन से अधिक खर्च करने वाले लोग निर्धनता रेखा के ऊपर होंगे। इस प्रकार यह निर्धारित कर दिया गया है कि गाँव में रूपये 816 तथा शहर में रूपये 1000 प्रतिमाह कमाने वाला व्यक्ति निर्धन नहीं है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2004–05 में यह राशि ग्रामीण क्षेत्र के लिए रूपये 26 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र के लिए 32 रूपये प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति थी। इस प्रकार हम सुगमतापूर्वक समझ सकते है कि 2004–05 और 2011–12 के मध्य देश में वस्तुओं के मूल्यों में जो बढ़ोत्तरी हुई है, इसको देखते हुए निर्धनता रेखा को निर्धारित करने के मापदण्ड को किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है?

इस प्रकार समझा जा सकता है कि योजना आयोग और तेंदुलकर समिति दोनों को ही देश में व्याप्त निर्धनता की वास्तविकता का अंदाजा नहीं है, महज आँकड़ों की बाजीगिरी के द्वारा योजना आयोग निर्धनता की गहनता को कम करके यह दर्शाने का प्रयास करता है कि सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की बदौलत भारत में निर्धनता का स्तर कम हो रहा है, लेकिन यदि 2004–05 या उससे पहले 1993–94 की प्रति व्यक्ति आय, जहाँ पर निर्धनता रेखा निर्धारित की गई हो, को यदि मुद्रास्फीति की दर (महंगाई) से समायोजित किया जाए, तो सम्भवतया वर्ष 2011–12 की प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की आय काफी नीची होगी। आज के इस महंगाई के दौर में रूपये 27.20,रूपये 33.33 से जीवित रहने के लिए भोजन–सामग्री क्रय नहीं की जा सकती।

ग्रामीण और शहरी निर्धनता की वास्तविकता

वैसे तो भारत में चारों ओर निर्धनता का दृष्य स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, परन्तु ग्रामीण भारत में निर्धनता का भयावह रूप नजर आता है। एक आंकलन के अनुसार भारत में 65 प्रतिशत से ज्यादा किसानों की आय प्रतिदिन रूपये 20 से भी कम है। कृषि मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, गेहूँ और धान के उत्पादन से किसानों को एक वर्ष में क्रमशः रूपये 2200 और रु 4,000 की औसत आय प्राप्त होती है। कुल मिलाकर यह राशि रूपये 6,200 सालाना होती है। इस हिसाब से देश के एक किसान की मासिक आय लगभग रूपये 517 ही होती है। इस प्रकार समझा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता को कम हुआ बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2001–11 के मध्य देश में किसानों की संख्या में 90 लाख की कमी आई है, जबकि इस अवधि में कृषि मजदूरों की संख्या में 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और उनकी संख्या 10.6 करोड़ से बढ़कर 14.4 करोड़ हो गई है। तात्पर्य यह है कि किसान तीव्रता से खेतिहर मजदूर बन रहे है। यह कैसे सम्भव है कि मालिक से मजदूर बनने पर आय बढ़ जाए? दूसरा प्रमुख तथ्य है कि जहाँ एक ओर देश में निर्धनता कम होती हुई बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर देश के बच्चों में कुपोषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में देश में 43 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-11* February- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation

षिकार हैं, जबकि देश के ग्रामीण क्षेत्र में 48 प्रतिशत बच्चों का वजन उनकी उम्र की तुलना में काफी कम है।

जिस प्रकार ग्रामीण भारत में निर्धनता की व्यापकता को बन्द आँखों से देखा जा सकता है, उसी प्रकार भारत का शहरी इलाका भी निर्धनता का विकराल रूप प्रस्तुत करता है। योजना आयोग के वर्तमान आँकडों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में मात्र 13.7 प्रतिशत आबादी ही निर्धनता रेखा के नीचे जीवन–यापन करती है भारत सरकार के आँकड़ों के अनुसार, शहरों मे निर्धनों की संख्या में काफी कमी दर्ज की गई है। अब शहरों में सिर्फ 5.31 करोड़ लोग ही निर्धन है। 2004–05 में देश के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या 8.14 करोड़ थी, जो 2011–12 में घटकर 5.31 करोड़ रह गई है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली 40 प्रतिशत आबादी की दैनिक आय आज भी रूपये 30 से अधिक नहीं है।

भारत में निर्धनता के आंकलन के अधिकारिक आँकड़े सदैव से ही संदेहात्मक रहे हैं, वैसे तो देश में निर्धनता किस हद तक व्याप्त है इस तथ्य के विश्वसनीय आँकड़े प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल है इसलिए योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों में और वास्तविकता में काफी फर्क नजर आता है। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय ओर अन्य स्वतंत्र संस्थाओं के अध्ययनों में देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक निर्धनों की संख्या सरकारी आँकड़ों से कहीं अधिक रही है। वर्ष 2009 में विश्व बैंक द्वारा जारी 'ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स फॉर 2009' की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि 2015 में भारत की एक–तिहाई जनसंख्या (लगभग 33 प्रतिशत) अत्यधिक निर्धन होगी।

विश्व में सर्वाधिक निर्धन भारत में

विश्व की सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या भारत में निवास करती है। विष्व के 100 निर्धनों में 33 निर्धन भारतीय है, अर्थात् विष्व की लगभग 33 प्रतिशत निर्धन जनसंख्या का वास–स्थल भारत ही है। विश्व बैंक द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में उल्लेख है कि विश्व में निर्धनों का एक–तिहाई भाग भारत में है जो प्रतिदिन 1.25 डॉलर से भी कम आय में अपना जीवनयापन करते है। विश्व बैंक के नवीनतम 'विश्व विकास सूचकों' में बताया गया है कि विश्व में लगभग एक अरब 20 करोड़ लोगे अति निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे है। हालाँकि इन तथ्यों में यह भी बताया गया है कि विश्व में निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की संख्या में काफी कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि भारत में 1981 में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 42.9 करोड़ थी, जो वर्ष 2010 में घटकर 40 करोड़ रह गई है।

इसमें संदेह नहीं कि भारत में निर्धनता की प्रतिशतता में कमी दर्ज की गई है, परन्तु वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की निर्धन आबादी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1981 में विश्व के 22 प्रतिशत निर्धन भारत में रहते थे, वह संख्या बढ़कर अब 33 प्रतिशत हो गई है। निर्धनता को दूर करने के संदर्भ में भारत के नीति–निर्माताओं को अपने पड़ोसी देश चीन से सबक लेना चाहिए। उल्लेखनीय है कि चीन में वर्ष 1981 में वहाँ की 84 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे जीवनयापन करती थी, जबकि 2010 तक यह आँकड़ा मात्र 12 प्रतिशत पर आ चुका है।

गरीबी की रेखा व अमीरी की रेखा–नई सोच की आवश्यकता

गरीबी से तात्पर्य मुख्य रूप से रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यकता पूर्ति के अभाव से होता है। अतः गरीबी की रेखा निर्धारित करते समय रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा षिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल व रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिनसे आज गरीबी रेखा के संदर्भ में विवेचन करते हुए यह बताना युक्ति संगत होगा कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने अपने कार्यकाल में 'अमीरी की रेखा' निर्धारित करने का विचार देश के समक्ष रखा था, किन्तु इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। जबकि आज गरीबी रेखा से भी ज्यादा जरूरी अमीरी रेखा को निर्धारित करना है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो बेलगाम अमीरी से ही बेलगाम गरीबी पनपती है, एक अमीर होगा तो दूसरा गरीब होगा।

गरीबी की निरपेक्ष माप करते हुए सर्वप्रथम 1960–61 में उन लोगों को निर्धन तथा गरीबी की श्रेणी में रखा गया जो न्यूनतम कैलोरी प्राप्त करने हेतु आवश्यक आय जुटाने में असमर्थ थे। 1960–61 में रूपये 20 से कम मासिक आय से निर्वाह क्षमता वाले लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे रखा गया। 1968–69 में यह राशि रूपये 40, 1973–74 में 49.1 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 56.6 शहरी क्षेत्रों में, 1976–77 में प्रचलित कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 61.5 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में रूपये 71.3, 1979–80 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में रूपये 101 तथा शहरी क्षेत्रों में रूपये 117.5 तथा 1991–92 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 181.5 तथा शहरी क्षेत्रों में रूपये 209.5 निर्धारित की गई।

योजना आयोग ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय को बताते हुए कहा है कि देश में 40 करोड़ 74 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा क्रमशः प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति रूपये 965 तथा प्रतिदिन लगभग रूपये 32 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रूपये 781 प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति तथा प्रतिदिन लगभग रूपये 26 प्रतिव्यक्ति तय की गई है। गरीबी रेखा के सापेक्ष विचार में चोटी के 10 प्रतिशत या 5 प्रतिशत व्यक्तियों के व्यय की तुलना निम्नतम स्तर के 10 प्रतिशत या 5 प्रतिशत व्यक्तियों के व्यय से की जाती है इससे आय की असमानता का अनुमान लगाया जा सकता है। गरीबी रेखा के निरपेक्ष माप में कई कमियां है। एक बार गरीबी रेखा को परिभाषित करने के बाद फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के अलग–अलग वर्गों की वास्तविक दषा क्या है, क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 26 प्रतिदिन व रूपये 5 प्रतिदिन पाने वाले गरीब व्यक्तियों की गरीबी की दशा भिन्न–भिन्न होती है। इसलिए प्रो. अमर्त्य सेन ने कहा है कि गरीब कोई एक आर्थिक वर्ग नहीं है। गरीब बहुत–सी आर्थिक परिस्थितियों

का परिणाम है। इसलिए गरीबी की समस्या को हल करने के लिए स्वयं गरीबी की संकल्पना से परे जाना होगा।

विभिन्न समूहों में गरीबी अनुपात

राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन की रिपोर्ट 2009–10 के अनुसार देश में विभिन्न समूहों में गरीबी अनुपात इस प्रकार है–

धार्मिक समूहों में गरीबी अनुपात

देश में सिक्ख आबादी में ग्रामीण क्षेत्रों में 11.9 प्रतिशत गरीब है। इसाईयों में शहरी गरीबी का अनुपात 12.9 प्रतिशत है मुसलमानों में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का अनुपात राज्यों में सर्वाधिक असम में 53.6 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 44.4 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 34.4 प्रतिशत और गुजरात में 31.4 प्रतिशत रहा है। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात अखिल भारतीय स्तर पर 33.9 प्रतिशत है। राजस्थान में शहरों में 29.5 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 49.5 प्रतिशत, गुजरात में 42.4 प्रतिशत, बिहार में 56.5 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल में 34.9 प्रतिशत है।

सामाजिक समूहों के अनुसार गरीबी अनुपात

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति में गरीबी का अनुपात 47.4 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जाति में 42. 3 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग में 31.9 प्रतिशत तथा सभी जातियों के लिए 33.8 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति में 30.4 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग में 24.3 प्रतिशत तथा सभी जातियों में यह 20.9 प्रतिशत है।

व्यावसायिक वर्गों में गरीबी अनुपात

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों का लगभग 50 प्रतिशत और अन्य मजदूरों का 40 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे है। जबकि शहरी क्षेत्रों में अनुबंध के आधार पर काम करने वाले अस्थाई मजदूरों का गरीबी अनुपात 47.1 प्रतिशत है।

सेवा क्षेत्र में गरीबी अनुपात

नियमित वेतन पाने वालों में गरीबी अनुपात सबसे कम है।

कृषि क्षेत्र में गरीबी अनुपात

सम्पन्न राज्य हरियाणा में 55.9 प्रतिशत खेतिहर मजदूर गरीब हैं जबकि पंजाब में यह 35.6 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में अनुबंध पर काम करने वाले अस्थाई मजदूरों में गरीबी अनुपात सबसे अधिक बिहार में 86 प्रतिशत, असम में 89 प्रतिशत, ओडिषा में 58.8 प्रतिशत, पंजाब में 56.3 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 67.96 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल में 53.7 प्रतिशत है।

परिवार के मुखिया, आयु व लिंग के अनुसार गरीबी अनुपात

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जिन परिवारों की जिम्मेदारी अल्पव्यस्कों पर होती है। उनमें गरीबी का अनुपात क्रमशः 16.7 प्रतिशत तथा 15.7 प्रतिशत है। जबकि जिन परिवारों की मुखिया महिलाएं है उनमें गरीबी का अनुपात ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 29.4 प्रतिशत तथा 22.1 प्रतिशत है तथा जिन परिवारों के मुखिया वरिष्ठ नागरिक हैं उनमें ग्रामीण तथा शहरी गरीबी का अनुपात क्रमशः 30.3 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत है।

शिक्षा के अनुसार गरीबी अनुपात

ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों में प्राथमिक और निम्न शिक्षा प्राप्त लोग हैं उनमें सबसे अधिक गरीबी है। जबकि जिन परिवारों में माध्यमिक व उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं वे अच्छी हालत में हैं। बिहार तथा छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त दो–तिहाई परिवार गरीब है जबकि उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में यह अनुपात क्रमशः 46.8 प्रतिशत व 47.5 प्रतिशत है। लगभग यहीं स्थिति शहरों की है, 2009–10 में भारत में इस प्रकार लगभग 35 करोड़ से अधिक लोग ऐसे है जिनकों गरीबी की रेखा के नीचे माना जाता है अर्थात् 29.8 प्रतिशत, इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 33.8 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 20.9 प्रतिशत गरीब है। इनकी प्रति व्यक्ति मासिक आय क्रमशः रूपये 672.8 तथा रूपये879.6 आँकी गई है। आज देश में खेतिहर मजदूरों के 60 प्रतिशत परिवार ऐसे है जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं हैं जिनके पास थोड़ी–सी भूमि है। ऐसे परिवार भी हैं जो खेती भी नहीं करते और जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं है। खेतिहर मजदूरों के 40 प्रतिशत परिवार ऐसे है जो खेती भी नहीं करते और जिनके पास भूमि भी नहीं है। ऐसे परिवार भी है जिनके पास एक या दो हेक्टेयर से कम भूमि है। ये सभी परिवार गरीबी की श्रेणी में आते है। अतः इनकी गरीबी का निवारण इनकी स्थिति के अनुसार होना चाहिए।

गरीबीः कारण और निवारण के उपाय

देश में गरीबी के कई कारण रहे हैं। देश में ग्रामीण गरीबी का मूल कारण कृषि में अर्द्ध सामंती उत्पादन सम्बन्धों का होना है। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों के लिए जो कदम उठाए गए वे अपर्याप्त है और भूमि पर बड़े किसानों का अधिकार होने से भूमिहीनों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग सभी खेतिहर मजदूरों के परिवार, काफी संख्या में छोटे व सीमान्त किसान तथा भूमिहीन गैर–कृषि क्षेत्रों में काम करने वाल श्रमिक परिवार गरीब है। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किन्तु भूमि उतनी ही रहती है। जिससे श्रम उत्पादकता और वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय कम होती जाती है। कृषि में तकनीकी परिवर्तनों व खाद्यानों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि का लाभ बड़े किसानों को ही हुआ है इससे आय की असमानता भी बढ़ी है। उत्पादन लागत में कमी से खाद्यानों की कीमतें घटती है। जिससे छोटे किसानों को हानि होती है पिछले 20–25 वर्षों में देश में हुए भ्रष्टाचार और करोड़ों रूपये के घोटालों ने गरीबों की गरीबी को और अधिक बढ़ा दिया है।

देश में बढ़ते पूंजीवाद के कारण नव–उदारवादी नितियां तथा खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की नीतियां गरीबों के लिए अहितकर सिद्ध हुई है। नेताओं व अधिकारियों के बढ़ते वेतन और सुविधाएं तथा उनके द्वारा एकत्रित अरबों की सम्पत्ति से अमीरी और गरीबी की खाई दिनों–दिन बढ़ती जा रही हैं। सरकार की आर्थिक नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है। आज देश में 20 प्रतिशत लोगों के पास देश की 80 प्रतिशत सम्पत्ति केन्द्रित है, जबकि देश की 80 प्रतिशत जनता के पास मात्र 20 प्रतिशत सम्पत्ति है। भारत में अति उच्च सम्पत्तिधारी

कुबेरों की संख्या 8200 है जिनकी कुल सम्पत्ति 945 अरब डॉलर है। इनमें 115 धन कुबेर ऐसे हैं जिनकी प्रत्येक की सम्पत्ति 50 अरब से अधिक है। लोकसभा में करीब 350 करोड़पति सांसद है। ये लोग अपने हितों और स्वार्थों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाते बिगाड़ते रहते हैं इसीलिए देश में आर्थिक विषमता गहराती जा रही है। काले धन का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। गरीबों की कीमत पर बढ़ती अमीरी, गरीबी–निवारण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बन गई है।

सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं तथा इस पर अरबों रूपए खर्च किए जा रहे हैं, किन्तु इनका पूरा लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। गरीबी निवारण हेतु देश में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना (1995) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना, शिक्षा सहयोग योजना (2001–02), सामूहिक जीवन बीमा योजना (1995–96), जयप्रकाष नारायण रोजगार गारण्टी योजना (2002–03), बालिका संरक्षण योजना, पुनर्संरचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (1996), विकलांग संगम योजना (1996), जन श्री बीमा योजना (2000), विजन 2020 फॉर इण्डिया, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (1997), प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, सर्वप्रिय योजना (2000), अंत्योदय अन्न योजना (2001), राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (2005), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (2009), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (2009), 20 सूत्रीय कार्यक्रम (2007), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (1999), शहरी व ग्रामीणों के लिए स्व–रोजगार कार्यक्रम (1986), नेहरू रोजगार योजना (1989–90), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (1997), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (2006–07) जैसी अनेक योजनाएं कार्यरत हैं बस इनके लाभों को गरीबों तक पहुंचाने की आवश्यकता है इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे।

निष्कर्ष

भारत में अभी तक यह निश्चित नहीं हो सका है कि निर्धनता को निर्धारित करने वाली परिभाषा क्या होनी चाहिए? वर्तमान समय में केन्द्र सरकार सुरेश तेंदुलकर समिति के आकलन के आधार पर ही निर्धनता के मापदण्ड को निर्धारित कर रही है। इस समिति द्वारा सुझाई गई विधि की सर्वत्र आलोचना हो रही है। इसीलिए योजना आयोग ने निर्धनता रेखा को निर्धारित करने हेतु सी.रंगराजन की अध्यक्षता में तकनीकी समूह का गठन किया गया है। किंतु अब योजना आयोग को ही समाप्त करके नीती आयोग का गठन किया गया है।

निर्धनता के निर्धारण हेतु देश में गठित चाहे कोई भी समिति क्यों न हो, उसका आकलन वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाता है। वस्तुतः देश में रोजगार, कृषि उत्पादन , औद्योगिक उत्पादन तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों की जो सच्चाई है उसे देखकर तो नहीं लगता कि देश की जनता के निर्धनता में कोई सकारात्मक सुधार हुआ है, ज्ञातव्य है कि भारत में मात्र 12 प्रतिशत लोगों को ही विनिर्माण के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त है, जबकि चीन व जर्मनी में यह दर 28 प्रतिशत है, आर्थिक उदारीकरण के दौरान असंगठित क्षेत्र का विस्तार भी देश में निर्धनों की संख्या बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है क्योंकि निजी क्षेत्र में श्रमिकों को उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है। 2007 की अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 90 प्रतिशत लोग सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी कम पर काम करते है।

देश में निर्धनता की जो रेखा निर्धारित की गई है उसे वास्तविक निर्धनता रेखा नहीं माना जा सकता। अतः देश में व्याप्त निर्धनता की वास्तविकता को फिर से समझने की आवश्यकता है। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या को जब तक उचित एवं तर्कसंगत विस्तृत आकलन नहीं किया जाएगा, तब तक देश में निर्धनों के उत्थान हेतु चलाया जा रहा कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकेगा और भविष्य में भी हम सिर्फ आँकड़ो का खेल ही देखते रह जाएंगे।

निर्धनता निवारण हेतु सुझाव

देश में बढ़ती गरीबी को देखते हुए इसके निराकरण हेतु निम्नलिखित सुझावों पर अमल किया जाना चाहिए–

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पशुपालन, वानिकी व सहायक उद्योगों की स्थापना करके अधिक विविधीकृत किया जाए तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए।
2. गरीबों को दो वर्गों में बांटा जाए। एक वर्ग में वे गरीब हों, जिनके पास कोई कौशल है और वे स्वरोजगार कर सकते है, दूसरे वर्ग में वे गरीब हों, जिनके पास कोई कौषल या प्रशिक्षण नहीं है और वे जो केवल मजदूरी पर ही आश्रित है। प्रत्येक वर्ग की उन्नति के लिए अलग नीति बनाई जाए।
3. स्वरोजगार व मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों में समन्वय होना चाहिए।
4. ऐसे परिवार जिनके पास न कोई कौशल है, न कोई परिसम्पत्ति है और न कोई काम करने वाला वयस्क है। ऐसे परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाई जाए।
5. परिवार कल्याण, पौष्टिक आहार, सामाजिक सुरक्षा तथा न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान दिया जाए।
6. गरीबों के लिए पर्याप्त भूमि, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ईधन व परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
7. गाँवों में बड़े किसानों व सामंतों द्वारा किये जा रहे गरीबों के शोषण को रोका जाए।
8. गरीबी निवारण कार्यक्रमों की प्रतिवर्ष समीक्षा व मूल्यांकन किया जाए। साधनों के निजी स्वामित्व, आय व साधनों के असमान वितरण व प्रयोग पर नियंत्रण किया जाए।
9. गरीबी निवारण कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ अमीरों के बजाय गरीबों को पहुंचाने का प्रयास किया जाए।
10. सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए आर्थिक नीतियां बनाई जाएं तथा अमीरों और पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली नीतियों में बदलाव लाया जाए।

ताकि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को भरा जा सके और हमें गरीबी के कलंक से छुटकारा मिल सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *अग्रवाल, रामगोपाल, भारत 2050: स्थायी समृद्धि की योजना, सागे पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2017,पृष्ठ 29.*
2. *दत्त, गौरव, महाजन, अश्विनी,भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द एण्ड कम्पनी प्रा. लि., नई दिल्ली, 2016, पृष्ठ 391.*
3. *जालान, बिमल, भारत का भविष्य, पेंगुइन बुक्स इण्डिया, यात्रा बुक्स, 2007, पृष्ठ 123.*
4. *जालान, बिमल, भारत की अर्थनीति; 21 वीं सदी की ओर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली,2008, पृष्ठ 138.*
5. *मेहता, प्रताप भानू, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी, पेंगुइन इण्डिया, गुरूग्राम, 2017 पृष्ठ 126.*
6. *मिश्र, जे.पी. कृषि अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा 2005, पृष्ठ 405–410.*
7. *साईनाथ, पी., एवरीबॉडी लवज ए गुड ड्रॉट : स्टोरीज फ्रॉम इण्डियाज़ पुवरेस्ट डिस्ट्रीक्ट्स, पेंगुइन इण्डिया, गुरूग्राम, 2000, पृष्ठ 389.*
8. *सेन, अमर्त्य, डवलपमेंट एज फ्रीडम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस न्यूयॉर्क, 1999, पृष्ठ 29.*
9. *सेन, अमर्त्य, गरीबी और अकाल, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 2013, पृष्ठ 190.*
10. *www. worldbank.org*
11. *censusindia.gov.in*